1/9/24

17/9/24

28/10/24

पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब आवेदन प्रस्तुत नहीं कर मौखिक ही बहस आवेदन सुने जाने बाबत निवेदन किया। बहस अधि. उभयपक्ष मूल प्रार्थना-पत्र पर सुनी गई है। बहस कुलकित आवेदन वही। अधि. अप्रार्थी द्वारा अधि. प्रार्थी द्वारा दिये गये तथ्यों का खण्डन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल वाद [illegible] का है। जिसे वाद संख्या 245/2022 के साथ आज दिनांक को समेकित कर दिया गया है। हमारी राय में वाद संख्या 245/22 के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत उभयपक्ष को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। दौराने वाद विवादित भूमि के मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर वाद बाहुल्यता बढ़ सकती है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ख.नं. 79 रकबा 3.69 हैक्टेयर वाके ग्राम [illegible]जोर तहसील व जिला सीकर की भूमि पर वाद संख्या 245/2022 के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखा जाये। किसी हिस्सा

। विवादित भूमि का बेचान नहीं है। उक्त स्थगन
आदेश भूमि सुधार, विद्युत कनेक्शन, चार्ज / प्रभावित
करने पर लागू नहीं होगा। पत्रावली कैफियत
कमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार पत्र होंगे।
निर्णय आज गैरहाजरी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर